फर्द अहकाम

न्यायालय ______________________

______________________ बनाम ______________________

मुकदमा संख्या /वर्ष : ______________________ /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... आज ... कार्यवाही ... के कारण न्यायिक ... अन्य राज ... पी०ओ० साहब ... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/1/25 को पेश
	28/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाब T.I. पेश नहीं किये गये। अतः प्रतिवादीगण का जवाब T.I. बन्द किया जाता है वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 10/02/25 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	10/2/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/2/25 को पेश हो।
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते बहस T.I. दिनांक 24/2/25 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	24/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की T.I. पर बहस सुनी गई। प्रकरण पत्रावली व राजस्व रिकार्ड व इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 9/6/2004 जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का अवलोकन करने व वकील उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अप्रार्थीगण की ओर जवाब पेश नहीं हुआ है अतः इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 9/6/2004 को ता-फैसला दावा Absolute स्थाई किया जाता है। ... बाद ... उप–खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (...)

23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय)

जयपुर ।

T/I/ 67/2010 ...

श्रीनारायण (मृतक)

1. सुरेन्द्र सिंह } पुत्रान श्रीनारायण जाति गूजर निवासी ...
2. वीरेन्द्र सिंह }

बनाम

...

रोडूराम मृतक ... पुत्र रोडूराम गूजर निवासी ...

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 21...

आर.सी.ए. व धारा 151 ...

===

श्रीमान,

प्रतिपक्षी की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

(1) यहकि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ... सम्बंध में ग्राम सांगानेर में स्थित वर्तमान खसरा नं. 791, 865, 867, 866, 868, 869, 870, ... से 902, 908 से 915 व 774 रकबा 6.63 हैक्टेयर ... सम्बंध में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवादी के आवेदन ... पर वादी को भूमि यथास्थिति रखने हेतु तथा पुख्ता ... निर्माण न करने हेतु दिनांक 16.5.80 को पाबंद ... था, जो आज भी यथावत है ।